N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0258 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 12/11/2024 18:29 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 31/07/2024 **Date To (दिनांक तक):** 05/08/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:40 बजे **Time To (समय तक):** 13:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 12/11/2024 **Time (समय):** 12:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 12/11/2024 18:29:13 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 470 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** POLICE CHOKI BAMBORA, P.S. KURABD DIS. UDAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** DEVILAL DANGI
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** HEERALAL DANGI
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1991 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SOMAKHERA,BAMBORA, KURAWAD, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SOMAKHERA,BAMBORA, KURAWAD, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BHARAT KUMAR		पिता:RAMCHANDRA	1. SARANGPURA/BHINDAR,VALL BHNAGAR,UDAIPUR,RAJASTH

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		2,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 2,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, वाकियात मामला यह है कि दिनांक 31.7.2024 को ब्यूरो इकाई उदयपुर पर परिवादी श्री देवीलाल पटेल पिता हीरालाल उम्र 33 साल निवासी गांव सोमाखेडा पुलिस थाना कुराबड जिला उदयपुर ने उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि मैं गाडी रिपेयरिंग का काम करता हूं। मेरी दुकान बम्बोरा सोमाखेडा चौराहे पर है। मेरी दुकान पर डायाराम जी गाडी ठीक करवाने आये थे। जो उसकी गाडी मेरी दुकान पर छोडकर चले गये। शाम को मैं दुकान बन्द कर घर चला गया। डायाराम जी गाडी दुकान के बाहर ही पडी थी। दिनांक 25.7.2024 को गुरूवार की रात को बम्बोरा पुलिस चौकी के भरत जी हैडकानिस्टेबल आये और डायाराम की गाडी उठा कर पुलिस चौकी ले गये। मैं दिनांक 27.7.2024 शनिवार को गाडी वापस लेने चौकी पर गया तो भरत जी ने मुझसे तीन हजार रूपयों की गाडी छुडाने की मांग की। मेरी उनसे कोई रंजिश या दुश्मनी नहीं है और न कोई उधार लेन-देन है। मैं आज दिनांक 31.7.2024 को गाडी लेने चौकी पर गया तो उन्होने 2000 रूपये की रिश्वत मांगी है। अतः मैं अपनी मर्जी से भरत जी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि कानूनी कार्यवाही करें। इस पर श्री विक्रमसिंह राठौड तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर द्वारा परिवादी को अपना आधार कार्ड प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तो परिवादी के आधार कार्ड की फोटो प्रति संलग्न पत्रावली की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित जाति परिवादी द्वारा डंागी लिखी गई किन्तु आधार कार्ड में जाति डांगी के स्थान पर पटेल लिखा हुआ है। इस सम्बन्ध में परिवादी से पूछा गया तो परिवादी द्वारा अवगत कराया गया कि मेरी जाति डांगी ही है किन्तु दस्तावेजों में डांगी के स्थान पर पटेल लिखा गया है क्योंकि डांगी व पटेल एक ही जाति है जिस पर श्री विक्रमसिंह राठौड तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर द्वारा परिवादी से संदिग्ध हैड कानि. श्री भरत द्वारा मांगी जा रही राशि के बारे में पूछा गया कि यह राशि चालान पेटे मांगी जा रही है या अवैध रूप से मांगी जा रही है जिस पर परिवादी द्वारा श्री विक्रमसिंह राठौड तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर को अवगत करवाया गया कि यह राशि श्री भरत जी हैड साहब द्वारा चालान की मांग नहीं कर केवल दो हजार रूपये दे दे और यह गाडी ले जा, यह राशि अवैध रूप से ली जा रही है। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं मजीद पूछताछ से मामला ट्रैप कार्यवाही का पाया जाने से श्री विक्रमसिंह राठौड तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर द्वारा परिवादी श्री देवीलाल पटेल को अग्रिम ट्रैप कार्यवाही की प्रक्रिया से अवगत कराया जाकर कार्यालय आलमारी से ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकार्डर निकाल कर परिवादी को इसके संचालन की विधि समझाईश की गई एवं कार्यालय मालखाना प्रभारी श्री गुलाब सिंह हैडकानि. 1938 से एक खाली नया मैमोरी कार्ड मंगवाया जाकर खाली मैमोरी कार्ड को डिजिटल वॉईस रिकार्डर में डाला गया एवं श्री सुरेश कानि. 424 को कार्यालय कक्ष में तलब कर श्री सुरेश कानि. व परिवादी श्री देवीलाल पटेल का आपस में परिचय कराया गया एवं परिवादी के साथ श्री सुरेश कानि. 424 को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के क्रम में रिश्वती राशि सत्यापन हेतु मय डिजिटल वॉईस रिकार्डर के परिवादी के श्री देवीलाल पटेल के साथ समय करीबन 11.55 एएम पर ब्यूरो कार्यालाय से रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 3.00 पीएम पर श्री सुरेश कानि. 424 मय परिवादी श्री देवीलाल पटेल पैरा उपरोक्त का रवाना शुदा ब्यूरो इकाई पर उपस्थित आये एवं श्री सुरेश कानि. 424 द्वारा श्री विक्रमसिंह राठौड तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर को ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकार्डर प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि "मैं व श्री देवीलाल पटेल ब्यूरो इकाई से रवाना होकर समय करीबन 1.05 पीएम पर कस्बा बम्बोरा पहुंचे जहां पर मेरे द्वारा पुलिस चौकी बम्बोरा से कुछ पहले परिवादी को ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकार्डर के संचालन की विधि पुनः समझाई गई तथा रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु डिजिटल वॉईस रिकार्डर परिवादी श्री देवीलाल पटेल को सुपुर्द किया जिसे परिवादी द्वारा अपने पहने हुए कपडों में छुपा कर चौकी बम्बोरा की तरफ समय करीबन 1.16 पीएम पर रवाना किया। परिवादी अपनी मोटरसाईकिल से पुलिस चौकी बम्बोरा की तरफ रवाना होने पर मन् कानि. भी परिवादी के पीछे-पीछे पुलिस चौकी बम्बोरा की तरफ रवाना हुआ व पुलिस चौकी बम्बोरा से कुछ पहले एकान्त स्थल जहां से पुलिस चौकी का मेन-गेट जहां से आना-जाना होता है दिख रहा था उसी गेट से परिवादी पुलिस चौकी के अन्दर गया मैं बाहर ही एकान्त स्थान पर अपनी उपस्थिति छुपाये परिवादी के आने के इन्तजार में खडा था कि समय करीबन 1.32 पीएम पर परिवादी पुलिस चौकी से बाहर आया जिस पर मैं उसी स्थान जहां पर पर परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर चालु कर सुपुर्द किया

था वहां पहुंचा जहां पर परिवादी ने मुझे डिजिटल वॉईस रिकार्डर समय करीबन 1.35 पीएम पर प्रस्तुत किया जिसे मेरे द्वारा बन्द किया एवं परिवादी से पूछा तो परिवादी ने अवगत करवाया कि मैं पुलिस चौकी बम्बोरा पर गया तो श्री भरत जी हैडसाहब मुझसे मिले और मुझे कहा कि तेरी गाडी (मोटरसाईकिल) रात को सुनसान में तेरी दुकान के बाहर खडी थी कोई चोरी करके ले जाता मैंने चौकी पर लाकर सुरक्षित खडी की है तुझे गाडी चाहिये तो तीन हजार रूपये लेकर आ मैंने कुछ कम करने के लिये कहा तो भरत जी ने मुझे अभी 2000 रूपये लेकर आने को कहा और गाडी ले जाने का कहा है। ये सारी बातें मैंने रिकार्डर में रिकार्ड की है। इस पर श्री विक्रमसिंह राठौड तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर द्वारा उपस्थित परिवादी से पूछा गया तो परिवादी द्वारा श्री सुरेश कानि. द्वारा बताये उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि की गई जिस पर श्री विक्रमसिंह राठौड तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर द्वारा डिजीटल वॉईस रिकार्डर को चला कर सुना गया तो श्री सुरेश कानि. एवं परिवादी ने उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि होकर संदिग्ध श्री भरत कुमार हैडकानि. द्वारा 2000 रूपये रिश्वती राशि मांग की जाने की पुष्टि हुई जिस पर समय 3.10 पीएम पर श्री विक्रमसिंह राठौड तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाना आवश्यक होने एवं ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से तहरीर तहसीलदार गिर्वा के नाम दो स्वतंत्र गवाह हेतु जारी कर श्री मांगीलाल कानि. को रवाना तहसील कार्यालय गिर्वा उदयपुर किया गया एवं परिवादी को ब्यूरो कार्यालय में बैठाया गया एवं समय 3.25 पीएम पर श्री मांगीलाल कानि. 215 तहसील कार्यालय गिर्वा उदयपुर रवाना शुदा मय दो स्वतंत्र गवाहान के कार्यालय में उपस्थित हुआ जिस पर श्री विक्रमसिंह राठौड तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर द्वारा दोनो गवाहान को कार्यालय कक्ष में तलब कर हर दोनो को अपना परिचय देकर उनका परिचय पूछा गया तो एक ने अपना नाम श्री नरेश कुदाल पुत्र श्री रमेशचन्द्र कुदाल उम्र 51 साल निवासी मयूर कॉम्प्लेक्स सेक्टर नं. 4 उदयपुर हाल भू-अभिलेख निरीक्षक सविना तहसील गिर्वा जिला उदयपुर एवं दूसरे ने अपना परिचय श्री पंकज पालीवाल पुत्र श्री पुरूषोतम पालीवाल उम्र 36 साल निवासी तहसील कार्यालय के सामने गोगुन्दा हाल पटवारी पटवार मण्डल लकडवास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर होना बताने पर श्री विक्रमसिंह राठौड तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर द्वारा हर दोनो गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जा रही गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने हेतु स्वीकृति चाही गई तो हर दोनो गवाहान द्वारा अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की गई। जिस पर कार्यालय में बैठे परिवादी को कार्यालय कक्ष में बुलाया जाकर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान को आपस में परिचय करवाया गया एवं परिवादी की लिखित रिपोर्ट दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढकर सुनाई गई तो परिवादी ने दोनो गवाहान के समक्ष रिपोर्ट स्वयं हस्तलिपि में होकर उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होने की ताईद की गई। परिवादी की रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। जिस पर श्री विक्रमसिंह राठौड तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर द्वारा परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकार्डर जिसमें प्रयुक्त मैमोरी कार्ड में आज परिवादी एवं संदिग्ध की वार्ता रिकार्ड है को चला कर सुनाया गया तो हर दोनो गवाहान द्वारा भी रिश्वती राशि मांग सत्यापन होने की पुष्टि की गई। तत्पश्चात समय 4.40 पीएम पर श्री विक्रमसिंह राठौड तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर द्वारा परिवादी को संदिग्ध की लोकेशन पता करने हेतु कहा गया तो परिवादी द्वारा श्री विक्रमसिंह राठौड तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर को अवगत करवाया गया कि श्री भरत जी हैडसाहब बहुत ही होशियार एवं चालाक है उन्होने मुझे फोन पर किसी प्रकार की वार्ता हेतु मना किया है। मैं उनको फोन करूंगा तो उनको शंका हो जायेगी। तत्पश्चात वक्त शब होने तथा पुलिस चौकी बम्बोरा जिला मुख्यालय से करीबन 50-55 किलोमीटर दूरी पर है तथा बम्बोरा ईलाका आदिवासी क्षेत्र होने एवं रात्रि के समय ट्रेप कार्यवाही करने से किसी अनहोनी की सम्भावना बनी रहती है तथा परिवादी द्वारा भी श्री विक्रमसिंह राठौड तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर को उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष उपरोक्त तथ्य से अवगत करवाया गया है, ऐसी स्थिति उक्त ट्रेप कार्यवाही आज इसी स्तर पर लम्बित रखना ही उचित होने से श्री विक्रमसिंह राठौड तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर द्वारा उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी को कल दिनांक 01.08.2024 को सुबह 9.00 एएम पर मय संदिग्ध श्री भरत कुमार को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वती राशि 2000 रूपये साथ लेकर व मामले की गोपनीयता बरतने की आवश्यक हिदायत के रवाना किया गया एवं उपस्थित स्वतंत्र गवाहान को भी मामले की गोपनीयता बरतने एवं दिनांक 01.08.2024 को सुबह 9.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होने की हिदायत के रवाना किया गया एवं श्री विक्रमसिंह राठौड तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर एवं अब तक की कार्यवाही का रनिंग नोट कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात समय 9.00 एएम पर पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री नरेश कुदाल भू-अभिलेख निरीक्षक एवं श्री पकंज पालीवाल पटवारी ब्यूरो इकाई पर उपस्थित हुए जिन्हें कार्यालय में बैठाया गया। समय 11.00 एएम पर श्री विक्रमसिंह राठौड तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर द्वारा श्री सुरेश कानि. 424 को कार्यालय में तलब कर परिवादी को ब्यूरो में उपस्थित होने हेतु पाबन्द करने के निर्देश दिये गये। समय 1.00 पीएम पर श्री सुरेश कानि. 424 द्वारा श्री विक्रमसिंह राठौड तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक

ब्यूरो उदयपुर को अवगत करवाया गया कि परिवादी उसके पारिवारिक कार्य में व्यस्त होने से अब बम्बोरा कस्बे से रवाना हो रहा है। तत्पश्चात दिनांक 01.08.2024 समय 3.00 पीएम पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री देवीलाल पटेल ब्यूरो इकाई पर उपस्थित हुआ। जिसको कार्यालय कक्ष में तलब किया गया तो परिवादी द्वारा श्री विक्रमसिंह राठौड तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर को अवगत कराया गया कि मैं अपने पारिवारिक कार्य में व्यस्त होने से समय पर उपस्थित नहीं हो पाया। मैंने कस्बा बम्बोरा से रवाना होने से पहले अपने स्तर से पता किया तो श्री भरत जी हैडसाहब आज चौकी पर उपस्थित नहीं थे। जिस पर श्री विक्रमसिंह राठौड तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर द्वारा परिवादी को संदिग्ध को रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री देवीलाल पटेल ने अवगत कराया कि मैं गाडी रिपेयरिंग का कार्य करता हूं। मेरे पास रूपयों की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं रूपयों की व्यवस्था कल दिनांक 02.08.2024 को कर दूंगा। जिस पर श्री विक्रमसिंह राठौड तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर द्वारा कार्यालय में बैठाये गये दोनो स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय कक्ष में तलब किया गया एवं समय 3.15 पीएम पर श्री विक्रमसिंह राठौड तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर द्वारा उपस्थित परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखे डिजिटल वॉईस रिकार्डर एवं अब तक की कार्यवाही का रनिंग नोट निकाल गया एवं श्री सुरेश कानि. को कार्यालय में तलब किया गया एवं श्री विक्रमसिंह राठौड तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर के निर्देशन में उपस्थित परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री सुरेश कानि. से डिजिटल वॉईस रिकार्ड को लेपटोप से कनेक्ट करा डिजिटल वाईस रिकार्ड में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में संरक्षित परिवादी श्री देवीलाल पटेल एवं संदिग्ध श्री भरत कुमार हैडकानि. के मध्य हुई रूबरू वार्ता दिनांक 30.7.2024 को उपस्थितिन के समक्ष लेपटोप से श्री सुरेश कानि. 424 से कनेक्ट करा वार्ता की शब्द ब शब्द फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं उक्त वार्ता की कॉपी श्री सुरेश कानि. 424 से तीन नये रिक्त पेन ड्राईव में पृथक-पृथक करवाई जाकर एक पेन ड्राईव को पेनड्राईव कवर में रख एक सफदे कपडे की थैली में सिलचिट करा चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये तथा दो पेन ड्राईव को अनसील्ड रखा गया। सीलचिट आर्टिकल मालखाने में सुरक्षित मालखाना प्रभारी से रखवाये गये। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाना वांछित है किन्तु परिवादी श्री देवीलाल पटेल के पास संदिग्ध को दी जानी वाली रिश्वती राशि की व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण ईमरोजा ट्रेप कार्यवाही की जाना सम्भव नहीं होने से श्री विक्रमसिंह राठौड तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर द्वारा उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री देवीलाल पटेल को कल दिनांक 02.08.2024 को संदिग्ध श्री भरत कुमार हैडकानि. को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2000 रूपये की व्यवस्था कर कल दिनांक 02.08.2024 को प्रातः 9.00 बजे ब्यूरो इकाई पर उपस्थित होने की हिदायत दी गई एवं उपस्थित स्वतंत्र गवाहान को भी कल दिनांक 02.08.2024 को प्रातः 9.00 बजे ब्यूरो इकाई पर उपस्थित होने के निर्देश दिये जाकर रवाना किया गया। तत्पश्चात दिनांक 02.08.2024 समय 9.00 एएम पर पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री नरेश कुदाल भू-अभिलेख निरीक्षक एवं श्री पकंज पालीवाल पटवारी ब्यूरो इकाई पर उपस्थित हुए जिन्हें कार्यालय में बैठाया गया एवं परिवादी श्री देवीलाल पटेल से सम्पर्क करने हेतु श्री सुरेश कानि. 424 को आवश्यक हिदायत दी गइ। जिस पर समय करीबन 12.00 पीएम पर श्री सुरेश कानि. 424 द्वारा श्री विक्रमसिंह राठौड तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर को अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री देवीलाल पटेल को पुलिस थाना कुराबड में तलब किया गया और उसकी मोटरसाईकिल की 200/- रूपये की चालान रसीद बिना नम्बर प्लेट की काटी गई है। परिवादी के पुलिस थाने में चालान रसीद 200/- रूपये जमा कराने के पैसे भी उसके द्वारा उधार लिये गये हैं तथा परिवादी अब 2000/- रूपये की व्यवस्था करने में असमर्थ है। जिस पर श्री विक्रमसिंह राठौड तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर द्वारा उपस्थित स्वतंत्र गवाहान को उक्त तथ्य से अवगत करवाया गया एवं आवश्यक निर्देश दिये जरिये फोन तलब करने पर ब्यूरो में उपस्थित होने के निर्देश दिये जाकर रूखसत दी गई। तत्पश्चात दिनांक 05.08.2024 समय 1.00 पीएम पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री देवीलाल पटेल तलब शुदा ब्यूरो इकाई पर उपस्थित हुआ। जिस पर श्री विक्रमसिंह राठौड तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर द्वारा परिवादी को संदिग्ध को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री देवीलाल पटेल द्वारा श्री विक्रमसिंह राठौड तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर को अवगत करवाया गया कि "मेरे द्वारा श्री डायाराम को उसकी मोटरसाईकिल छुडाने हेतु रूपयों के बारे में कहा तो उसके द्वारा मुझे कहा गया कि मेरी गाडी (मोटरसाईकिल) आपकी दुकान से पुलिस वाले ले गये है मैं तो केवल मेरी गाडी रिपेयरिंग के ही पैसे दे सकता हूं बाकी पुलिस को जो भी देना है वो आप ही दे, फिर मैंने अपने स्तर पर पुलिस चौकी बम्बोरा पर जाकर पता किया तो पुलिस चौकी पर श्री भरत जी हैडसाहब छुट्टी पर है और पुलिस चौकी से मेरे अंकल श्री रामजी पटेल को फोन कर बताया कि आपके भतीजे की गाडी पुलिस थाने पर है और आप उसे भेज दे जिस पर दिनांक 02.08.2024 को मैं पुलिस थाना कुराबड पर गया जहां पर मुझे मोटरसाईकिल का 200/- रूपये का चालान काट कर दिया और कहा कि 200/- रूपये दे दो और गाडी ले जाओ जिस पर मैंने श्री डायाराम को थाने पर बुलाया और उससे 200/- रूपये लिये और पुलिस थाना कुराबड में जमा कराये और गाडी श्री डायाराम को उसी समय दे दी। फिर मुझे सुरेश जी को फोन आया और मुझे एसीबी में

बुलाया था जो मैं आज आपके समक्ष आया हूं।" जिस पर श्री विक्रमसिंह राठौड तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर द्वारा पूर्व पाबन्दशुदा गवाहान को कार्यालय में तलब किया गया एवं परिवादी को कार्यालय में बैठाया गया। समय 1.30 पीएम पर तलबशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री नरेश कुदाल भू- अभिलेख निरीक्षक एवं श्री पंकज पालीवाल पटवारी कार्यालय में उपस्थित हुए जिन्हें श्री विक्रमसिंह राठौड तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर द्वारा अब तक की कार्यवाही के उपरोक्त हालात से अवगत करवाया गया एवं उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी को कार्यालय में तलब किया गया एवं परिवादी को उपसिथत स्वतंत्र गवाहान के समक्ष संदिग्ध को रिश्वत में दी जाने वाली राशि के बारे में कहा गया तो परिवादी ने अपने पास रूपये नहीं होना स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अवगत करवाने पर श्री विक्रमसिंह राठौड तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर द्वारा उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी को संदिग्ध को रिश्वत में जाने वाली राशि 2000/- रूपये की व्यवस्था नहीं होने एवं अब की कार्यवाही पर संदिग्ध के विरूद्व कार्यवाही कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया जिस पर परिवादी द्वारा उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि " निवेदन है कि मुझ प्रार्थी देवीलाल पटेल द्वारा दिनांक 31.07.2024 को एक लिखित रिपोर्ट पुलिस चौकी बम्बोरा के श्री भरत जी हैडसाहब के विरूद्व रिश्वत मांगने की कि थी, जिसमें श्री भरत जी हैडसाहब द्वारा मुझसे मेरे ग्राहक की गाडी (मोटरसाईकिल) छोडने की एवज में 3000/- रूपये मांगे थे मेरे द्वारा कम करने को कहा था तो उनके द्वारा 2000/- रूपये की मांग की थी। मैं गरीब आदमी हूं तथा गाडी भी मेरी नहीं होने तथा मेरे पास रूपयों की व्यवस्था नहीं हो पाने तथा अब गाडी के एवज में पुलिस थाना कुराबड में 200 रूपये के चालान के पैसे श्री डायाराम ने जमा करा दिये व गाडी भी पुलिस थाने वालों ने छोड दी है मैरे पास अब आगे की कार्यवाही कराने हेतु 2000/- रूपये की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तथा रोज-रोज मैं बम्बोरा से उदयपुर आने में भी किराये के पैसे उधार लेकर आता हूं व मेरी दुकान का काम भी ठप हो रहा है अतः निवेदन है कि अब की कार्यवाही से एसीबी में जो भी प्रकरण बनता वो कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं।" इस पर श्री विक्रमसिंह राठौड तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। मामले हाजा में रिश्वती राशि मांग सत्यापन से श्री भरत कुमार हैडकानि. पुलिस चौकी बम्बोरा पुलिस थाना कुराबड जिला उदयपुर के विरूद्व प्रथमदृष्टया परिवादी की दूकान से मोटरसाईकिल जब्त करना एवं उसे छोडने की एवज में 2000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग करना फर्द ट्रान्सक्रिप्ट दिनांक 31.07.2024 से प्रमाणित है। अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी के पास रूपये की व्यवस्था नहीं होने तथा मोटरसाईकिल पुलिस थाना कुराबड द्वारा चालान बनाकर छोड देने से अब ट्रेप कार्यवाही की कोई सम्भावना नहीं होने से अब तक की कार्यवाही पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु परिवादी श्री देवीलाल पटेल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अग्रिम कार्यवाही के क्रम में श्री विक्रमसिंह राठौड तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर द्वारा उपस्थित परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजिटल वॉईस रिकार्डर में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड का बाहर निकलवाया जाकर परिवादी एवं स्तंत्रत गवाहान के समक्ष श्री गुलाब सिंह हैडकानि. से मैंमोरी कार्ड को मैमोरी कार्ड कवर में रख कर मैमोरी कार्ड कवर पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा मैमोरी कार्ड को मय कवर के सफेद कपडे की थैली में सिलचिट करवा मार्क M दिया जाकर चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर श्री गुलाब सिंह हैडकानि. को मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करा मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया। प्रार्थी देवीलाल द्वारा जब्तशुदा मोटरसाकिल आर.जे. 27 एस डब्ल्यु 3494 की चालान प्रति की फोटो प्रति अपने हस्ताक्षरशुदा प्रस्तुत की जो संलग्न पत्रावली की गई। उपस्थित परिवादी एवं गवाहान को रूखसती दी गई। इस प्रकार उपरोक्त कार्यवाही से श्री भरत कुमार हैडकानि. नम्बर 1938 नियुक्त पुलिस चौकी बम्बोरा, पुलिस थाना कुराबड जिला उदयपुर द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर परिवादी श्री देवीलाल पटेल की दुकान के बाहर खडे मोटरसाईकिल को अनाधिकृत रूप से पुलिस चौकी पर ले जाना तथा मोटरसाईकिल छोडने की एवज में रिश्वती राशि 2000/- रूपये की मांग करना रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 31.07.2024 से प्रमाणित है। अतः श्री भरत कुमार हैडकानि. नं. 1938 नियुक्त पुलिस चौकी बम्बोरा, पुलिस थाना कुराबड जिला उदयपुर के विरूद्व ब्यूरो में जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित होने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है। भवदीय, (अनन्त कुमार) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर.........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनन्त कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री भरत कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र निवासी सारंगपुरा (भीण्डर) तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर हाल हैडकानि नम्बर 1938 पुलिस चौकी बम्बोरा थाना कुराबड जिला उदयपुर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,डूंगरपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 146 पर अंकित है।(राहुल कोटोकी) उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1416-1419 दिनांक 12-11-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:–1-विशिष्ट

न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपर । 2-पुलिस अधीक्षक, जिला उदयपुर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर । उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAJENDRA SINGH **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Rahul Katakey
Location: Rajasthan,IN
Date: 12/11/2024 18:

Name(नाम): RAHUL KATAKEY

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	31/12/1991				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)